उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1972

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 1972)

[उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 4 जनवरी, 1972 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 10 जनवरी, 1972 की बैठक में स्वीकृत किया ।]

[*'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 19 जनवरी, 1972 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 22 जनवरी, 1972 ई० को प्रकाशित हुआ ।*]

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 में निम्नलिखित प्रयोजनों के हेतु आगे संशोधन करने के लिए, — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45, 1958

अधिनियम

भारत गणराज्य के बाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा । — संक्षिप्त नाम

2—उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) में शब्द "उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय" के स्थान पर शब्द "गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्राद्योगिक विश्वविद्यालय" रख दिये जायं । — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45, 1958 की धारा 3 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ट) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्— — धारा 10 का संशोधन

"(ट) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का एक प्रतिनिधि, और" ।

4—मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (3) में प्रयुक्त शब्दों 'दो पदावधियों' के स्थान पर शब्द 'तीन पदावधियों' रख दिये जायं । — धारा 11 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्— — धारा 18 का संशोधन

"(2) कृषि प्रयोग केन्द्र का एक संचालक होगा जो उपकुलपति द्वारा नियुक्त किया जायगा और उनके प्रति उत्तरदायी होगा ।"

6—मूल अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्— — धारा 19 का संशोधन

"(2) एक प्रसार संचालक होगा जो उपकुलपति द्वारा नियुक्त किया जायगा और उनके प्रति उत्तरदायी होगा ।"

7—उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1971, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है । — उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 17, 1971 का निरसन

[उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 6 जनवरी, 1972 का सरकारी असाधारण गजट देखिये ।]

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—257 जनरल (लेग)—1972—1809+50 (मै०) ।

UTTAR PRADESH KRISHI VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1972

(U. P. Act No. 5 of 1972)

*[*Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Krishi Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 1972]*

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Agricultural University Act, 1958.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-Second Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Krishi Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 1972.

Amendment of section 3 of U. P. Act 45 of 1958.

2. In section 3 of the Uttar Pradesh Agricultural University Act, 1958 (hereinafter referred to as the principal Act), in sub-section (1), *for* the words "Uttar Pradesh Krishi Vishwavidyalaya" the words "Govind Ballabh Pant Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya" shall be *substituted.*

Amendment of section 10.

3. *In section 10 of the principal Act in sub-section (1), for* clause *(j)* the following clause shall be *substituted,* namely—

"(j) One representative of the Indian Council of Agricultural Research, and".

Amendment of section 11.

4. In section 11 of the principal Act, in sub-section (3), *for* the words "two terms" the words "three terms" shall be *substituted.*

Amendment of section 18.

5. In section 18 of the principal Act, *for* sub-section (2), the following sub-section shall be *substituted,* namely—

"(2) There shall be a Director of the Experiment Station who shall be appointed by and be responsible to the Vice-Chancellor".

Amendment of section 19.

6. In section 19 of the principal Act, *for* sub-section (2) the following sub-section shall be *substituted,* namely—

"(2) There shall be a Director of Extension who shall be appointed by and be responsible to the Vice-Chancellor".

Repeal of U. P. Ordinance no. 17, 1971.

7. The Uttar Pradesh Krishi Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhyadesh, 1971, is hereby repealed.

---

*(For Statement of Objects and Reasons, please see *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary,* dated January 6, 1972.)

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Council on January 4, 1972 and by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on January 10, 1972.)

(Received the Assent of the Governor on January 19, 1972 under Article 200 of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary,* dated January 22, 1972).

PSUP—A. P. 256 Genl. (Leg.)—1972. 1,827+50 (M).